

MSTP/D4.No-3/15

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

S.O.....(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Maharashtra State Board of Technical Education, a Board constituted under the Maharashtra State Board of Technical Education Act, 1997, of the Government of Maharashtra, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-


- (a) fees, fines and penalties;
- (b) receipts from Printed Educational Material;
- (c) receipts from Scrap or Waste paper;
- (d) receipts from other Government Bodies;
- (e) interest income from surplus funds kept in bank accounts and fixed deposits;
- (f) rent received from let out of properties;
- (g) royalty or License fees for providing technical knowledge and infrastructure;
- (h) dividend earned from Maharashtra Knowledge Corporation Ltd;
- (i) capital gains, if any, from disposal of assets as per Government financial guideline and rules of Government of Maharashtra.

2. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

- (a) that the Maharashtra State Board of Technical Education shall not engage in any commercial activity;
- (b) that the activities and the nature of the specified income of the Maharashtra State Board of Technical Education remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) that the Maharashtra State Board of Technical Education shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the financial year 2014-2015 and shall be applicable for the financial years 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019.

[Notification No. 23 /2016 F.No.196/13/2015-ITA-I]



(DEEPSHIKHA SHARMA)
Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Done
35/3/16

[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2016

का.आ.(अ), - आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए, महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1997 के अंतर्गत गठित एक बोर्ड अर्थात् महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड को, इस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, अधिसूचित करती है, अर्थात्

- (क) फीस, जुर्माना और शास्तियां;
 - (ख) मुद्रित शिक्षण सामग्री से प्राप्तियां;
 - (ग) छीजन अथवा रद्दी कागज से प्राप्तियां;
 - (घ) अन्य सरकारी निकायों से प्राप्तियां;
 - (ङ) बैंक खातों और सावधि जमाओं में रखी अधिशेष निधियों से ब्याज आय
 - (च) किराए पर दी गई सम्पत्तियों से प्राप्त किराया;
 - (छ) तकनीकी ज्ञान और अवसंरचना प्रदान किए जाने हेतु रॉयल्टी अथवा लाईसेन्स फीस;
 - (ज) महाराष्ट्र ज्ञान निगम लिमि0 से अर्जित लाभांश;
 - (झ) सरकारी वित्तीय दिशा-निर्देश और महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार परिसम्पत्तियों के निपटान से पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो,
2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी, यथा :-
- (क) यह कि महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, किसी भी वाणिज्यिक क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होगा;
 - (ख) यह कि महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के क्रियाकलाप और इसको होने वाली विशेष आय के स्रोत में पूरे वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं होगा; और
 - (ग) यह कि महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (घ) के प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी भरेगा।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 पर लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 23/2016, फा.सं. 196/13/2015-आईटीए-1]

दीपशिखा
(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली।